

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2009/टेली/आरसीआईएल/1

नई दिल्ली, दिनांक: 21/05/2015

महाप्रबंधक,  
उत्तर रेलवे,  
नई दिल्ली।

अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक  
रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
गुडगांव।

## दूरसंचार परिपत्र सं. 8/2015

विषय : वीपीएन पोर्ट प्रभारों का केन्द्रीकृत भुगतान करने की तारीख को अंतिम रूप देना।

संदर्भ : रेलवे बोर्ड के दिनांक 11.06.2012, 28.04.2014 और 05.02.2015 के समसंख्यक पत्र।

\*\*\*

इस कार्यालय के उपर्युक्त संदर्भित पत्रों, जिनमें एमपीएलएस वीपीएन के उपयोग के लिए रेलों द्वारा रेलटेल को दिए जाने वाले पोर्ट प्रभार तय किए गए थे, के क्रम में यह विनिश्चय किया गया है कि इन पर किए गए खर्च का भुगतान दिसम्बर 2006 से उत्तर रेलवे द्वारा केन्द्रीकृत रूप से किया जाएगा।

रेलवे वार एमपीएलएस वीपीएन के उपयोग का सत्यापन एनओसी, नई दिल्ली से आरसीआईएल के साथ उत्तर रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। क्षेत्रीय रेलों को उनकी सूचना के लिए, भुगतान होने के बाद, सत्यापित सूची परिपत्रित की जाएगी।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।



(हरीश पवारिया)

निदेशक/दूरसंचार

e-mail dtele@rb.railnet.gov.in

फोन नं. 011-23388504


सं. 2009/टेली/आरसीआईएल/1

o/c

नई दिल्ली, दिनांक: 21/05/2015

प्रतिलिपि :

- 1) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें।
- 2) भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।



कृते वित्त आयुक्त/रेलवे

प्रतिलिपि प्रेषित:

- 1) वित्त (व्यय) II एवं बजट शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
- 2) मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर, सभी भारतीय रेलें।

